न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री बृजमोहन बैरवा आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 37/2023/अपील/एलआरएक्ट/बूंदी

दायरा दिनांकः 8.2.2023

अन्तर्गत धाराः 76 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

1. किशनगोपाल
2. बंशीलाल
3. दयाशंकर

आत्मज नाथूलाल जाति धाकड निवासीगण ग्राम ठीकरिया तहसील तालेडा जिला बूंदी राज0।

...अपीलार्थीगण

बनाम

1. महीपाल सिह आ0 महेन्द्रसिंह जाति चारण निवासी ग्राम ठीकरिया चांदणान तहसील तालेडा जिला बूंदी हाल हवेली के सामाने कोटडी कोटा।
2. राजेन्द्रसिंह आ0 महेन्द्रसिह ठीकरिया चांदणान तहसील तालेडा जिला बूंदी।
3. श्रवण आत्मज नाथू जाति धाकड ग्राम ठीकरिया चांदणान तहसील तालेडा जिला बूंदी हाल हवेली के सामने कोटडी कोटा।
4. उम्मेदसिंह आ0 महेन्द्रसिंह जाति चारण तहसील तालेडा जिला बूंदी हाल हवेली के सामने कोटडी कोटा।
5. मिटठू कंवर पत्नि नटवर सिंह जाति चारण तहसील तालेडा जिला बूंदी।
6. किरण पुत्री नटवरसिंह जाति चारण तहसील तालेडा जिला बूंदी।
7. तहसीलदार तहसील कार्यालय बूंदी।
8. तहसीलदार तालेडा जिला बूंदी।

... रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित : श्री तेजमल जैन अभिभाषक –अपीलार्थीगण
पैरोकार सरकार–रेस्पो0 कम–7 व 8

::निर्णय::

दिनांक 2.5.2024

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलेक्टर बूंदी (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 137/अपील/2019 अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम बउनवान महिपाल सिंह वगेरा बनाम किशनगोपाल आदि मे पारित निर्णय दिनांक 18.4.2022 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 अपील के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है, कि ग्राम ठीकरिया चारणान तहसील बूंदी की कृषि भूमि खसरा सं0 211 पुराना, नये खसरा सं0 344 रकबा 22 बीघा 17 बिस्वा के खातेदार नाथू वल्द धन्ना कौम धाकड के फौत होने उपरांत दिनांक 20.12.2001 को उसके वारिसान के नाम तस्दीक किये गये फोती नामा0 सं0 340 ग्राम ठीकरिया चारणान को निरस्त कराने हेतु रेस्पो0 कम 1 व 2 कमशः महिपाल सिंह व राजेन्द्रसिंह ने राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत प्रथम अपील न्यायालय जिला कलक्टर बूंदी के यहां पेश की गई। जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय ने निर्णय दिनांक 18.4.2022 से स्वीकार कर नामा0 सं0 340 दिनांक 20.12.2001 को निरस्त किया गया। प्रथम अपीलीय न्यायालय के आलौच्य निर्णय 18.4.2022 से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे इस आशय की पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय मे रेस्पो0 कम–1 व 2 द्वारा अपील 18 बाद प्रस्तुत की गई थी जो सर्वथा मियाद बाहर थी किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र इस आधार पर कि

धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र के जवाब मे शपथ पत्र प्रस्तुत नही किया है, अपील अवधि मध्य मानी गई जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान नही दिया कि राजेन्द्रसिंह ग्राम ठीकरिया चांदणान मे ही निवास करता है और यही पर भूमि है ऐसी स्थिति मे यह मानना कि उसे नामान्तरकरण की जानकारी 18 वर्ष तक नही हुई हो स्वभाविक नही है। तहसीलदार ने केवल खातेदार नाथू की मृत्यु होने पर उसके वारिसान का नाम दर्ज किया था जो पूर्णतया न्यायोचित था। पक्षकारो के मध्य विवादित आराजी के संबध मे नियमित वाद विचाराधीन है ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय को तहसील को यह निर्देशित करना चाहिये था कि नियमित वाद के प्रकरण के निर्णय के तत्पश्चात उसके अनुरूप नामान्तरकरण खोला जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र इस आशंका पर कि अपीलांट आराजी का अन्तरण कर सकते है नामा0 खारिज करने मे त्रुटि की है, जबकि गत 20 वर्षो से अपीलांट ने किसी प्रकार का कोई अन्तरण नही किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान नही दिया कि राजस्व रिकार्ड मे मृतक का नाम यथावत रखा जाना विधि सम्मत नही है। उपरोक्त तथ्यो के परिपेक्ष्य मे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि, न्याय एंव संचिका मे सिद्धि प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत है। अतः अपील स्वीकार की जाकर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 18.4.2022 निरस्त किया जाकर नामा0 सं0 340 दिनांक 21.12.2001 ग्राम ठीकरिया चांदणान यथावत रखे जाने की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त किया गया। दिनांक 16.2.2023 को अपीलांट की ओर से प्रकरण मे एक प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी बावत मृतक सीता के कायम मुकान को रिकार्ड पर लेने का पेश किया तत्पश्चात प्रकरण मे नियत तारीख पेशी 1.6.2023 को अपील प्रकरण मे बनाये गये रेस्पो0 कम 4 व 5 कमशः लूर व सीता पुत्री नाथू ने अपने जीवनकाल मे ही दिनांक 3.2.2006 को तीनों अपीलांट के पक्ष मे रजिस्टर्ड लीज डीड करवा दिये जाने के आाधार पर लूर व सीता का हम अपीलांट के पक्ष मे निहित हो जाने से उनको प्रकरण मे पक्षकार बनाये रखना महत्वहीन होने से अपील मेमो से नाम तर्क करने का पेश किया गया। साथ रेस्पो0 प्रकरण मे उपस्थित नही होने से एक प्रार्थना पत्र आर्डर 5 रूल 20 सीपीसी का पेश किया जाकर रेस्पो0 की जामील जरिये अखबार साया कराने का अनुरोध किया। अभिभाषक अपीलांट को उपरोक्त प्रार्थना पत्र सुना गया। न्यायहित मे रेस्पो0 कम–4 व 5 का नाम अपील मिमो से तर्क कर लाल स्याही से अंकन किया गया तथा प्रार्थना पत्र आर्डर 5 रूल 20 सीपीसी स्वीकार कर रेस्पो0 की तलबी जरिये अखबार साया करने आदेश प्रदान किये गये। रेस्पो0 की तलबी हेतु दिनांक 25.7.2023 को जरिये राजस्थान पत्रिका बूंदी के माध्यम से नोटिस प्रकाशित/साया किये गये किन्तु रेस्पो0 के प्रकरण मे उपस्थित नही होने पर दिनांक 3.4.2024 को उनकी तामील पूर्ण मानते हुये बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एंव रेस्पो0 कम–7 व 8 पैरोकार सरकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराया तथा कथन किया कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार नाथू के फौत होने उपरांत दिनांक 20.12.2001 को उसके वारिसान के नाम फोती नामा0 सं0 340 दिनांक 20.12.2001 को तस्दीक किया गया था जो पूर्णतया न्यायोचित था। उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध 18 वर्ष बाद प्रस्तुत अपील को बिना कोई युक्तियुक्त आधार के केवल मात्र इस आधार पर कि धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र के जवाब मे शपथ पत्र प्रस्तुत नही किया है, अपील को अवधि मध्य जाकनकर जेरअपील निर्णय पारित करने मे विधिक त्रुटि की है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस मे आगे बताया कि राजेन्द्रसिंह ग्राम ठीकरिया चांदणान मे ही निवास करता है और यही पर भूमि है ऐसी स्थिति मे यह मानना कि उसे नामान्तरकरण की जानकारी 18 वर्ष तक नही हुई हो स्वभाविक नही है। वादग्रस्त आराजी का पक्षकारो के मध्य नियमित वाद विचाराधीन है जिसमे पक्षकारो के हक व हकूको का निर्धारण होगा। नामान्तरकरण की सरसरी कार्यवाही मे किसी व्यक्ति के हितो का निर्धारण नही किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त कानूनी तथ्यों पर गौर किये बिना ही नामा0 सं0 340 को निरस्त करने मे त्रुटि की है। अन्त मे अपील स्वीकार कर जेरअपील निर्णय निरस्त कर नामा0 सं0 340 को बहाल रखे जाने का अनुरोध किया।

4 पैरोकार सरकार रेस्पो0 कम–7 व 8 ने अपनी बहस मे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होना जाहिर किया।

अति. सं. आयुक्त

5 हमने अपील एव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स एंव पैरोकार सरकार पर मनन किया। रेस्पो0 1 लगायत 6 प्रकरण मे उपस्थित नही है। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख एंव आलौच्य जेरअपील निर्णय दिनांक 18.4.2022 के अवलोकन से प्रकट होता है कि खातेदार नाथू के फौत होने उपरांत दिनांक 20.12.2001 को उसके वारिसान के नाम वादग्रस्त आराजी का फोती नामा0 सं0 340 दिनांक 20.12.2001 को तस्दीक किया गया था जो पूर्णतया न्यायोचित था। प्रकरण मे यह तथ्य भी निर्विवाद है कि वादग्रस्त आराजी के संबध मे पक्षकारान के मध्य नियमित वाद विचाराधीन है जिसमे पक्षकारान के हक हकूको का निर्धारण होना है। नामा0 की कार्यवाही एक सरसरी कार्यवाही है जिसमे किसी व्यक्ति के स्वत्व का निर्धारण नही किया जा सकता। नामा0 भूमि का लगान किससे वसूल किया जाना है जिसकी प्रकिया मात्र है। उक्त नामा0 के विरूद्ध लगभग 18 वर्ष बाद दिनांक 2.12.2019 को अपील न्यायालय जिला कलक्टर मे प्रस्तुत की गई थी जो प्रथम दृष्टया ही अवधि बाधित थी। देरी का कोई युक्तियुक्त कारण भी उल्लेखित नही किया गया जबकि विलम्ब का युक्तियुक्त दिन प्रतिदिन का समुचित कारण स्पष्ट करना आवश्यक है। ऐसी स्थिति मे समुचित आधार अभिलेख के अभाव मे अपील को मात्र इस आधार पर कि धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र के जवाब मे शपथ पत्र प्रस्तुत नही किया है, अपील को अवधि मध्य माने जाने का अधीनस्थ न्यायालय का अभिमत न्यायोचित नही ठहराया जा सकता।

6 अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आलौच्य जेरअपील निर्णय मे यह भी अभिमत प्रकट किया है कि ''नामा0 के आधार पर रेस्पो0 द्वारा वादग्रस्त आराजी का आगे अंतरण कर दिया है तो वादकरण को बढावा मिलेगा'' जिसके आधार पर नामा0 को खारिज किया जाना उचित मानाते हुये नामा0 सं0 340 को को विधि विरूद्ध मानकर खारिज किया है। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त अभिमत पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के आलोक मे विधिसम्मत नही माना जा सकता। क्योंकि वादग्रस्त आराजी के संबध मे पक्षकारान के मध्य नियमित वाद जेरकार होना स्वयं अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय मे माना है ऐसी स्थिति मे यदि वादग्रस्त आराजी का बेचान या किसी प्रकार से अंतरण होने की संभावना पर व्यथित पक्षकार जेरकार नियमित बाद मे विधि अनुसार अनुतोष प्राप्त करने के लिये स्वतंत्र है। अतः उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य मे भी हम अधीनस्थ न्यायालय के उपरोक्त अभिमत को न्यायोचित नही पाते है, बल्कि अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील निर्णय संदेह प्रकट कर पारित किया जाना प्रकट करता है जो विधिसम्मत नही है। फलत् उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य मे हम अपील अपीलांट आशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित/रिमाडं किया जाना उचित समझते है। परिणाम स्वरूप उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर बूंदी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.4.2022 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित/रिमाड किया जाता है कि उभय पक्षकारान का विधिवते सुनवाई व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय के बिन्दू सं0 5 व 6 मे उल्लेखित तथ्यों का समुचित परीक्षण कर पुनः विधिसम्मत व तथ्यात्मक निर्णय पारित करें।

7 निर्णय आज दिनांक 2.5.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(बृजमोहन बैरवा)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा